31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ लाख)

क्र सं.	विवरण	एकल				समेकित	
		31.03.2011 को समाप्त तिमाही (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त तिमाही (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(क) निवल बिक्री (विद्युत शुल्क घटाकर)	1551894	1235339	5487400	4632259	5741846	4825645
	(ख) अन्य प्रचालन आय	45867	37815	164524	189873	171566	193224
	(ग) मूल्यह्रास वापसी (निवल) और मूल्यह्रास के लिए अग्रिम जिसे पूर्व अवधि की बिक्री के रूप में मान्यता दी गई	191	(1360)	184054	(1655)	189821	(2542)
	कुल (क+ख+ग)	**1597952**	**1271794**	**5835978**	**4820477**	**6103233**	**5016327**
2	व्यय						
	(क) ईंधन लागत	972556	834598	3537378	2946274	3641435	3018766
	(ख) कर्मचारी लागत	70819	74561	278971	241236	292226	252309
	(ग) मूल्यह्रास	69814	73216	248569	265006	271969	289438
	(घ) अन्य व्यय	98247	57316	284783	199965	341212	243333
	(ङ) प्रावधान	28398	930	155215	1090	155277	1235
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ)	**1239834**	**1040621**	**4504916**	**3653571**	**4702119**	**3805081**
3	अन्य आय, ब्याज़ और असाधारण मदों से पहले प्रचालनों से लाभ (1–2)	358118	231173	1331062	1166906	1401114	1211246
4	अन्य आय	20556	24950	88806	102533	87406	101483
5	ब्याज़ और असाधारण मदों से पूर्व लाभ (3+4)	378674	256123	1419868	1269439	1488520	1312729
6	ब्याज़ एवं वित्तीय प्रभार	52995	48179	214908	180893	249287	207818
7	ब्याज़ पश्चात् लेकिन असाधारण मदों से पूर्व लाभ (5–6)	325679	207944	1204960	1088546	1239233	1104911
8	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-
9	**कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (+)/हानि (–) (7+8)**	**325679**	**207944**	**1204960**	**1088546**	**1239233**	**1104911**
10	कर व्ययः						
	(क) चालू कर	61632	(9762)	255332	194544	260216	197908
	(ख) आस्थगित कर	(14137)	15941	39369	20913	44194	22963
	(ग) फ्रिन्ज लाभ कर (एफबीटी)	-	-	-	269	0	270
	कुल (क+ख+ग)	47495	6179	294701	215726	304410	221141
	घटाएं: वसूली योग्य/(भुगतान योग्य) आस्थगित कर	-	-	-	-	-	(5)
	निर्माण के दौरान व्यय/कोयला खादान के विकास को हस्तांतरित एफ बी टी						
	कर व्यय (निवल)	47495	6179	294701	215726	304410	221146
11	**कर पश्चात् सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (+)/हानि (–) (9–10)**	**278184**	**201765**	**910259**	**872820**	**934823**	**883765**
12	असाधारण मदें (कर व्यय हटाकर)	-	-	-	-	-	-
13	**अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से के पूर्व वर्ष का निवल लाभ (+)/हानि (–) (11–12)**	**278184**	**201765**	**910259**	**872820**	**934823**	**883765**
14	समेकित लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा	-	-	-	-	(517)	(3)
15	**अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से के पश्चात् वर्ष का निवल लाभ (+)/हानि (–) (13–14)**	**278184**	**201765**	**910259**	**872820**	**935340**	**883768**
16	चुकता इक्विटी शेयर पूँजी (शेयर का अंकित मूल्य प्रत्येक रु. 10/–)	824546	824546	824546	824546	824546	824546
17	चुकता ऋण पूँजी			4318824	3779702		
18	तुलन पत्र के अनुसार पुनः मूल्यांकित प्रारक्षित निधियों को छोड़कर प्रारक्षित निधियाँ			5964679	5419196	6013910	5437182
19	ऋण पत्र प्रारक्षित निधि			223166	198672		
20	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस – ₹ में)						
	(क) असाधारण मदों के पूर्व का मूल एवं मिश्रित ईपीएस (अ–वार्षिकीकृत)	3.37	2.45	11.04	10.59	11.34	10.72
	(ख) असाधारण मदों के पश्चात् का मूल एवं मिश्रित ईपीएस (अ–वार्षिकीकृत)	3.37	2.45	11.04	10.59	11.34	10.72
21	ऋण इक्विटी अनुपात			0.64	0.61		
22	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)			2.57	3.92		
23	ब्याज़ सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर)			11.42	13.64		
24	सार्वजनिक शेयरधारिता						
	(क) शेयरों की संख्या	1278103220	1278103220	1278103220	1278103220	1278103220	1278103220
	(ख) शेयरधारिता का प्रतिशत	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50
25	**प्रवर्तकों एवं प्रवर्तक समूह शेयरधारिता**						
	क) प्रतिभूत/ऋणग्रस्त						
	– शेयरों की संख्या	-	-	-	-	-	-
	– शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तकों एवं प्रवर्तक समूह की कुल शेयरधारिता के % के रूप में)	-	-	-	-	-	-
	– शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूँजी के % के रूप में)	-	-	-	-	-	-
	(ख) गैर–ऋणग्रस्त						
	– शेयरों की संख्या	6967361180	6967361180	6967361180	6967361180	6967361180	6967361180
	– शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तकों एवं प्रवर्तक समूह की कुल शेयरधारिता के % के रूप में)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	– शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूँजी के % के रूप में)	84.50	84.50	84.50	84.50	84.50	84.50

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खंडवार राजस्व, परिणाम एवं निवेशित पूँजी का विवरण

(₹ लाख)

क्र सं.	विवरण	एकल				समेकित	
		31.03.2011 को समाप्त तिमाही (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त तिमाही (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**खंड राजस्व (निवल बिक्री)**						
	- उत्पादन	1547114	1230529	5470455	4616867	5683996	4774991
	- अन्य	4780	4810	16945	15392	57850	50654
	- कुल	**1551894**	**1235339**	**5487400**	**4632259**	**5741846**	**4825645**
2	**खंड परिणाम (कर एवं ब्याज़ पूर्व लाभ)**						
	- उत्पादन	327128	197550	1209483	1015253	1267669	1049376
	- अन्य	762	1664	5020	5816	13598	16085
	- कुल	**327890**	**199214**	**1214503**	**1021069**	**1281267**	**1065461**
	घटाएं :						
	(i) अनावंटित ब्याज़ एवं वित्त प्रभार	36450	28584	143284	111682	174059	138312
	(ii) अनावंटित आय को घटाकर अन्य अनावंटित व्यय	(34239)	(37314)	(133741)	(179159)	(132025)	(177762)
	कर पूर्व कुल लाभ	**325679**	**207944**	**1204960**	**1088546**	**1239233**	**1104911**
3	**निवेशित पूँजी (खंड परिसंपत्तियाँ–खंड देयताएं)**						
	- उत्पादन	4526023	3945020	4526023	3945020	5050764	4346095
	- अन्य	425	5445	425	5445	29635	33623
	- अनावंटित	2262777	2293277	2262777	2293277	1758057	1882010
	- कुल	**6789225**	**6243742**	**6789225**	**6243742**	**6838456**	**6261728**

कम्पनी के कार्यों का प्रचालन मुख्यतः देश में ही किया जाता है और इसलिए भौगोलिक खण्ड लागू नहीं है।

नोट:

1. समेकित वित्तीय परिणामों में निम्नलिखित सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों को शामिल किया गया है :

	क) सहायक कंपनियाँ	स्वामित्व (%)
1	एनटीपीसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि. (इसकी संयुक्त उपक्रम कंपनी किनेस्को पावर एंड यूटिलिटीज़ प्रा. लि.* 50% धारिता सहित)	100
2	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	100
3	एनटीपीसी हाइड्रो लि.	100
4	काँटी बिजली उत्पादन निगम लि.	64.57
5	भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.	74
	ख) संयुक्त उपक्रम कंपनियाँ	
1	यूटिलिटी पावरटेक लि.	50
2	एनटीपीसी एल्सटोम पावर सर्विसेज़ प्रा. लि.	50
3	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्रा. लि.*	50
4	एनटीपीसी–तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लि.*	50

	ख) संयुक्त उपक्रम कंपनियाँ	स्वामित्व (%)
5	अरावली पावर कंपनी प्रा. लि.	50
6	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा. लि.	30.17
7	मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लि.	50
8	एनटीपीसी–भेल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.	50
9	बीएफ–एनटीपीसी एनर्जी सिस्टम्स लि.*	49
10	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्रा. लि.	50
11	नैशनल पावर एक्सचेंज लि.	16.67
12	एनटीपीसी–एससीसीएल ग्लोबल वेंचर्स प्रा. लि.	50
13	इन्टरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लि.*	14.28
14	ट्रांसफॉरमर्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स केरल लि.*	44.6
15	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि.*	25
16	नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लैबोरेटरी प्रा. लि.*	25
17	सीआईएल-एनटीपीसी ऊर्जा प्रा. लि.*	50

उपर्युक्त सभी कम्पनियां भारत में निगमित हैं। *वित्तीय विवरण अ–लेखापरीक्षित हैं।

2 क) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने जनवरी 2009 में विनियमन, 2009 को अधिसूचित किया जिसमें 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क दर निर्धारण संबंधी नियम एवं शर्तें हैं। सीईआरसी द्वारा केंद्रवार शुल्क दर निर्धारण लंबित रहने के मद्देनजर 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान तात्कालिक रूप से ₹ 48,93,531 लाख की बिक्री मान ली गई है (पूर्व वर्ष में ₹ 44,47,393 लाख) जो की पूंजी लागत पर उक्त विनियमन में उच्चारित सिद्धांतों और अपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) के शुल्क दर अवधि 2004–2009 के आदेशों के आधार पर है, जिसका संदर्भ अनुच्छेद 2 (घ) में सम्मिलित किया गया है।

विनियमन, 2009 में प्रावधान है कि सीईआरसी द्वारा शुल्क दर निर्धारण लंबित रहने के दौरान कम्पनी द्वारा लाभार्थियों को तात्कालिक बिलिंग की जा सकती है जो सीईआरसी द्वारा 31 मार्च 2009 को लागू शुल्क दर के अनुसार होगी। इस आधार पर 31 मार्च 2011 को तात्कालिक बिलिंग की राशि ₹ 47,51,921 लाख है (पूर्व वर्ष में ₹ 43,76,513 लाख)।

ख) 1 अप्रैल 2009 के पश्चात् उत्पादन के लिए निर्मित हुई इकाईयों के लिए सीईआरसी द्वारा शुल्क दर निर्धारण लंबित होने तक, बिक्री को विनियमन, 2009 में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर तात्कालिक रूप से ₹ 4,52,839 लाख मान लिया गया है (पूर्व वर्ष में ₹ 1,73,540 लाख)। ऐसी इकाइयों के लिए ₹ 4,41,612 लाख की तात्कालिक बिलिंग की गई है (पूर्व वर्ष में ₹ 1,53,650 लाख)।

ग) सीईआरसी/एपीटीईएल द्वारा जारी आदेशों के आधार पर पूर्व वर्षों से संबंधित ₹ 80,087 लाख (पूर्व वर्ष में ₹ 11,933 लाख) की बिक्री को मान्यता दी गई है।

घ) जिन केंद्रों/इकाइयों के लिए 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2009 के लिए सीईआरसी द्वारा शुल्क दर आदेश जारी किए गए उनसे संबद्ध कम्पनी को कई मुद्दों, जिन पर सीईआरसी ने अपने शुल्क दर आदेश में विचार किया था, पर शिकायत रही और कम्पनी द्वारा एपीटीईएल में अपील की गई। एपीटीईएल ने अपील पर सकारात्मक निर्णय देते हुए सीईआरसी को निर्देश दिया कि दिए गए निर्देशों एवं पद्धति से शुल्क दर आदेश में संशोधन करे। सीईआरसी ने एपीटीईएल द्वारा तय कुछ मुद्दों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। कम्पनी, सर्वोच्च न्यायालय में अपील पर सुनवाई लंबित रहने तक एपीटीईएल के आदेशानुसार शुल्क दर निर्धारण के लिए सीईआरसी पर दबाव नहीं डालेगी।

इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से प्राप्त राय पर विचार करते हुए अंतिम संग्रह को मान लेना तर्क संगत है, शुल्क दर अवधि 2004–2009 की बिक्री को पूर्व वर्षों में मान्यता दी गई और इसके लिए एपीटीईएल की पद्वति और उसके निर्देशानुसार कम्पनी द्वारा तय तात्कालिक शुल्क दर को आधार बनाया गया। लेखों में दर्ज उपर्युक्त बिक्री भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के लंबित रहने तक देनदारी में सम्मिलित ₹ 1,26,286 लाख का इस वर्ष में पूरा प्रावधान कर दिया है। यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे अपील पर सुनवाई के बाद वित्तीय विवरणों में दर्ज कर दिया जाएगा।

ङ) सीईआरसी द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण आदेशों के कारण आगामी वर्षों में चार्ज की जाने वाली मूल्यह्रास घटक की कमी को पूरा करने के लिए वांछित मूल्यह्रास अग्रिम राशि की पुनर्गणना की गई एवं ₹ 7,975 लाख की अतिरिक्त राशि को बिक्री के रूप में दर्शाया गया है।

च) इस वर्ष के दौरान सीईआरसी ने एपीटीईएल के निर्णय के अनुपालनार्थ कुछ स्टेशनों के टैरिफ आदेश, जिसका उल्लेख उपरोक्त अनुच्छेद (घ) में किया गया है, जारी किए एवं लाभार्थियों को उसके अनुसार बिलिंग की गई। क्योंकि सीईआरसी के आदेशों में वो विषय शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है एवं जिसका अभी निपटान होना है तथा उसके प्रभाव ₹ 25,222 लाख, को लाभार्थियों से अग्रिम के तौर पर मान्यता दी गई है।

3 बिक्री में सीईआरसी विनियमन, 2004 के अनुसार ग्राहकों से प्राप्य आय कर के मद में ₹ 33,851 लाख (पूर्व वर्ष में (-) ₹ 71,993 लाख) और सीईआरसी विनियमन, 2009 के अनुसार ग्राहकों से प्राप्य आस्थगित कर के मद में ₹ 2,172 लाख (पूर्व वर्ष में ₹ 24,847 लाख) शामिल हैं।

4 सीईआरसी ने 3 सितम्बर 2010 को प्रारूप अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार पूंजी लागत से संबधित अमुक्त देनदारियों को, जिन्हें सीईआरसी ने 1 अप्रैल 2009 से पहले स्वीकार कर लिया था, अग्रिम वास्तविक रूप में मान्यता देनी होगी। अंतिम अधिसूचना की प्रत्याशा में ₹ 26,359 लाख की अनुमानित राशि का शुल्क समायोजन के रूप में प्रावधान किया गया।

5 कथित वर्ष के लिए चालू कर प्रावधान में पूर्व वर्षों से संबधित ₹ 5,602. लाख का कर है (पूर्व वर्ष में (-) ₹ 52,540 लाख)।

6 वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी की दादरी स्थित 490 मेगावाट की एक इकाई और कोरबा स्थित 500 मेगावाट की एक इकाई को क्रमशः 31 जुलाई 2010 और 21 मार्च 2011 को व्यावसायिक घोषित कर दिया गया है।

7 लेखा नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव :

क) वर्ष के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि लेखों में उत्पादन परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान करने के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों का विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए न कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित दरों का। तदनुसार कम्पनी ने विनियमन् 2009 के माध्यम से शुल्क निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अनिसूचित दरों एवं पद्धतियों का विचार करते हुए मूल्यह्रास को चार्ज करने से संबंधित अपनी लेखा नीतियों को 1 अप्रैल, 2009 से संशोधित किया है। कम्पनी कुछ परिसंपत्तियों के लाभप्रद जीवन के तकनीकी आंकलन के आधार पर उच्च दरों पर मूल्यह्रास कर रही है। इस परिवर्तन के कारण पूर्व अवधि का मूल्यह्रास वापसी ₹ 1,11,650 लाख, मूल्यह्रास ₹ 27,962 लाख कम है जिसके कारण वर्ष के लिए अचल परिसम्पत्तियां एवं कर पूर्व लाभ ₹ 1,39,612 लाख अधिक है।

ख) उपरोक्त परिवर्तन के कारण आगामी वर्षों में चार्ज की जाने वाली मूल्यह्रास पर राजस्व में मूल्यह्रास के घटक में कमी को पूरा करने के लिए वांछित मूल्यह्रास के लिए अग्रिम की राशि (एएडी) की 1 अप्रैल, 2009 की तिथि को स्टेशन–वार पनुर्गणना की गई है तथा ₹ 72,749 लाख की अधिक राशि की पहचान पूर्व अवधि की बिक्री के रूप में की गई है।

ग) इसके अलावा लाभार्थियों से वसूला जाने वाला आस्थगित कर, जो वित्तीय वर्ष 2009–10 में कार्यान्वित हुआ, का पुनर्मूल्यांकन किया गया एवं ₹ 21,267 लाख की अतिरिक्त राशि को पूर्व वर्षों की बिक्री के रूप में वापिस दर्शाया गया एवं पूर्व वर्षों के कर प्रावधान की समराशि को लाभ और हानि लेखा से घटाया गया।

घ) उक्त परिवर्तन के कारण आस्थगित कर देयता (निवल) और लाभार्थियों से वसूले जाने वाला आस्थागित कर जो कि 31 मार्च 2010 को ₹ 3,04,941 लाख तथा ₹ 2,84,016 लाख क्रमशः को समीक्षित किया और ₹ 4,41,519 लाख तथा ₹ 3,80,969 लाख क्रमशः पुनः निश्चित किया। परिणाम स्वरूप 31.03.2010 को आस्थगित कर देयता में ₹ 1,36,578 लाख की वृद्धि हुई जिसमें ₹ 96,953 लाख जोकि विनियमन 2009 के विनियमन 39 के अनुसार लाभार्थियों से वसूले जाने योग्य हैं तथा निवल वृद्धि को आस्थगित कर प्रावधान में डेबिट कर दिया गया है।

8 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने कम्पनी को दिनांक 24.12.2010 को अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उत्तराखंड में कम्पनी की एक पन बिजली परियोजना को बन्द कर दिया जाए, तदानुसार कम्पनी ने परियोजना से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को निष्फलता पत्र जारी कर दिए हैं।

विद्युत मंत्रालय ने परियोजना पर हुए खर्च, प्रतिबद्धता खर्च, सुरक्षा और स्थिरीकरण उपायों पर अपेक्षित खर्च, कार्यस्थल पर अन्य पुनरावर्ती खर्च, ब्याज लागत तथा विभिन्न संकुल के ठेकेदारों और विक्रेताओं के दावों का ब्यौरा मांगा है। प्रबंधन को आशा है कि परियोजना पर कुल खर्च, सुरक्षा और स्थिरीकरण उपायों पर खर्च, कार्यस्थल पर अन्य पुनरावर्ती खर्चों, ब्याज लागत तथा विभिन्न संकुल के ठेकेदारों और विक्रेताओं के दावों की पूर्ण प्रतिपूर्ति हो जाएगी। अतः 31.03.2011 तक परियोजना पर खर्च हुई ₹ 74,882 लाख की राशि को भारत सरकार से प्राप्य दिखाया गया है।

9 कम्पनी एक ताप विद्युत परियोजना लगा रही है जिसके लिए 1,489 एकड़ जमीन के अधिग्रहण (पूर्व वर्ष 1,489 एकड) का प्रमाण पत्र कम्पनी को सौंप दिया गया है और सांविधिक एवं पर्यावरण संबंधी सभी अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं। इसके उपरांत भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया ताकि परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान की तलाश की जा सके चूंकि मौजूदा स्थान कोयला उत्पादन क्षेत्र पर स्थित है। अचल परिसंपत्तियों में 31 मार्च 2011 तक कुल ₹ 19,019 लाख की लागत सम्मिलित है (पूर्व वर्ष में ₹ 18,310 लाख)। प्रबंधन को विश्वास है, कि व्यय की प्रतिपूर्ति हो जाएगी, इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

10 इस तिमाही में कम्पनी ने वर्ष 2010–11 के लिए प्रति शेयर ₹ 3.00 (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। निदेशक मंडल ने प्रति शेयर ₹ 0.80 (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की। वित्त वर्ष 2010–11 के लिए प्रति शेयर कुल लाभांश ₹ 3.80 (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) है जिसमें अंतरिम लाभांश शामिल है।

11 लेखापरीक्षित खातें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा अधीनार्थ है।

12 समावेश अनुपात की गणना लिए प्रयुक्त सूत्र डीएससीआर = ब्याज, मूल्य ह्रास और कर पूर्व आय/(निर्माण के दौरान व्यय मद में दर्ज निवल ब्याज+मूल का पुनः भुगतान) और आईएससीआर = ब्याज, मूल्य ह्रास और कर पूर्व आय/(निर्माण के दौरान व्यय मद में दर्ज निवल ब्याज)

13 सूचीयन समझौता की धारा 41 के अनुसार 31 मार्च 2011 को समाप्त तिमाही के लिए निवेशकों की शिकायत संबंधी सूचना।

	अर्ध शेष	वृद्धियाँ	निपटान	इतिशेष
शिकायतों की संख्या	8	1813	1809	12

14 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षण समिति द्वारा 10 मई 2011 को आयोजित बैठक में उपुर्यक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई और उसी दिन बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

15 पूर्व वर्षों के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनवर्गीकृत/पुनर्समायोजित कर दिया गया है।

31 मार्च 2011 की परिसम्पत्तियों तथा देयतायों का सारांश

(₹ लाख)

विवरण	एकल		समेकित	
	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
निधियों के स्रोत				
शेयरधारकों की निधियां :				
(क) पूंजी	**824546**	824546	**824546**	824546
(ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष	**5964679**	5419196	**6013910**	5437182
अग्रिम मूल्य ह्रास से आस्थगित राजस्व	**79205**	161084	**79205**	161084
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से आस्थगित आय	**6243**	-	**6243**	-
राख उपयोग निधि	**-**	-	**5896**	1062
(क) सुरक्षित ऋण	**991068**	907992	**1742640**	1537643
(ख) आरक्षित ऋण	**3327756**	2871710	**3332843**	2877210
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से आस्थगित देयता	**9654**	6105	**9667**	6105
वसूली पश्चात आस्थगित कर संबंधी देयता (निवल)	**60295**	20925	**67165**	22971
अल्पसंख्यक हित	**-**	-	**48505**	27896
कुल	**11263446**	10211558	**12130620**	10895699
निधियों का उपयोग				
समेकित करने पर साख	**-**	-	**62**	62
सीडब्लूआईपी, निमार्ण भंडार तथा अग्रिम सहित अचल परिसंपत्तियां	**7750659**	6686560	**8971821**	7648619
निवेश	**1234484**	1480709	**835733**	1177761
आस्थगित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में उतार–चढ़ाव	**45915**	36517	**45915**	36525
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम				
(क) सामग्री सूची	**363912**	334771	**391083**	353296
(ख) विविध लेनदार	**792431**	665146	**839987**	708081
(ग) रोकड़ एवं बैंक शेष	**1618526**	1445948	**1785983**	1605301
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	**104697**	84404	**107158**	86802
(ङ) ऋण एवं अग्रिम	**660113**	551311	**680321**	568069
घटायें : चालू देयताएं एवं प्रावधान				
(क) देयताएं	**1032048**	768758	**1243876**	975792
(ख) प्रावधान	**275243**	307058	**283567**	315033
निवल चालू परिसम्पत्तियां	**2232388**	2005764	**2277089**	2030724
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से आस्थगित व्यय	**-**	2008	**-**	2008
कुल	**11263446**	10211558	**12130620**	10895699

Perfect10

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई 2011

हस्ताक्षर
(ए. के. सिंघल)
निदेशक (वित्त)

एनटीपीसी NTPC
एक महारत्न कंपनी
एनटीपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय : एनटीपीसी भवन, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, वेबसाइट : www.ntpc.co.in